तीन हजार की रिश्वत लेते चपरासी गिरफ्तार

गोपद बनास तहसील में लोकायुक्त ने की छापामार कार्रवाई

नवभारत न्यूज
सीधी, 8 जुलाई। कलेक्ट्रेट में संचालित गोपद बनास तहसील कार्यालय में आज सुबह लोकायुक्त रीवा की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए चपरासी दामोदर प्रसाद साकेत को 3 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

कार्रवाई सुबह करीब 10:30 बजे तहसील कार्यालय में की गई। बताया जा रहा है कि खजुरी निवासी नागेंद्र तिवारी ने वारिसाना संबंधी कार्य के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन दिया था। आरोप है कि काम कराने के एवज में चपरासी द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त रीवा ने योजना बनाकर कार्रवाई की और आरोपी को कथित रूप से रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया।

घटना के बाद तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में चर्चा है कि इस तरह के मामलों में अन्य कर्मचारियों या अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि, फिलहाल किसी अन्य अधिकारी की संलिप्तता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लोकायुक्त टीम आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

पॉक्सो के मामले में अधिकारी गंभीरता से कार्य करें

कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की

नवभारत न्यूज
रीवा, 8 जुलाई, रीवा संभाग कमिश्नर शीलेंद्र सिंह बुधवार को कमिश्नर कार्यालय स्थित सभाकक्ष में रीवा संभाग के सभी जिलों की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की.

कमिश्नर ने बैठक में उपस्थित सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वह पॉक्सो एक्ट के मामले में पूरी संवेदनशीलता से कार्य करें, पॉक्सो एक्ट में दर्ज प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रहे और हर प्रकरण में जो दोषी व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए. साइबर फ्रॉड एवं साइबर धोखाधड़ी के संबंध में हो रही घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कमिश्नर ने सभी पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वह साइबर धोखाधड़ी के बारे में आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करें और लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके के बारे में बताएं.

बैठक में बताया गया कि रीवा संभाग के सभी जिलों के शैक्षणिक संस्थानों में ड्रग फ्री जोन बनाया गया है. इसके अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं के 500 मीटर के दायरे को ड्रग जोन फ्री बनाने की कार्यवाही की गई है. यह सुनिश्चित किया गया है कि शैक्षणिक संस्थाओं के 500 मीटर के दायरे में शराब सिगरेट या गुटखा पाउच की कोई भी दुकान संचालित न होने पाए. कमिश्नर ने राहवीर योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए की राहवीर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर लोगों को इस योजना से अवगत कराया जाए. उन्होंने बताया कि राहवीर योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल नजदीक के अस्पताल पहुंचाता है तो उसे शासन की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है. कमिश्नर ने राहवीर योजना अंतर्गत सभी जिलों में बने कम प्रकरण पर असंतोष व्यक्त करते हुए और अधिक जागरूकता के कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए. उल्लेखनीय है कि राहवीर योजना के अंतर्गत रीवा में 02, सतना में 04, सीधी में 01, सिंगरौली में 01, मऊगंज में 02 प्रकरण ही दर्ज किए गए हैं. बैठक में पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत, रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, सतना कलेक्टर सतीश कुमार एस, मैहर कलेक्टर श्रीमती विदिशा मुखर्जी, मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन, सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा, सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल एवं सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक ऑफलाइन एवं वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थित रहे.

सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सतर्कता रखें

कमिश्नर ने आगामी पर्व एवं त्योहारों के दौरान रीवा संभाग के सभी जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति चाक चौबंद बनाए रखने के निर्देश दिए, साथ ही कहा कि विशेष तौर पर भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सतर्कता एवं निगरानी रखी जाए. कमिश्नर ने पटाखा लाइसेंसधारी संस्थाओ की एक बार पुनः जांच करने के निर्देश दिए और कहा कि पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी पटाखा दुकान शासन के नियमों एवं शर्तों के अनुसार संचालित की जा रही हैं कि नहीं, यदि कोई दुकान या संस्था इसका उल्लंघन करती हुई पाई जाए तो उसके विरुध नियम अनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए. कमिश्नर ने पटाखा भंडारण स्थल का भी निरीक्षण करने के निर्देश दिए. कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित करने के निर्देश दिए और कहा कि रीवा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ट्रैफिक प्लान का प्रारूप अनिवार्य रूप से बनाया जाए, प्रारंभिक तौर पर कुछ क्षेत्रों में इसका प्रयोग कर ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन किया जाए. कमिश्नर ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने जिले के चिन्हित ब्लैक स्पॉट में आवश्यक सुधार करते हुए धीरे-धीरे सभी ब्लैक स्पॉट को खत्म करना सुनिश्चित करें. प्रकरण में सउनि पुरुषोत्तम पाठक, प्रआर मनोज सिंह, आरक्षक सतीश कुशवाहा, मआर संगीता बैस एवं साइबर सेल टीम की सराहनीय भूमिका रही।

रीवा से ग्वालियर के लिए नई ट्रेन रवाना
सांसद प्रतिनिधि ने दिखाई हरी झंडी

नवभारत न्यूज
रीवा 08 जुलाई। रीवा से ग्वालियर के लिए नई ट्रेन बुधवार को रात 9:बजे रीवा से रवाना हुई रीवा सांसद प्रतिनिधि रेलवे राजीव खंडेलवाल ने रीवा ग्वालियर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर भाजपा मीडिया प्रदेश के सदस्य योगेंद्र शुक्ला महेंद्र प्रताप सिंहसहित रेलवे के कर्मचारी उपस्थित रहे कि ट्रेन संख्या 041 91 जो ग्वालियर से 8 जुलाई को सुबह 7:40 पर रवाना होकर रीवा पहुंची इस स्पेशल ट्रेन में 22 एचपी कोच लगाए जाएंगे जिसमें 7 स्लीपर क्लास 4 थर्ड एसी तीन डिब्बे इकोनामिक थर्ड एसी के 2 सेकंड एसी के डिब्बे एवं चार जनरल कोच एवं एक दिव्यांग कोच लगा हुआ है रीवा के लिए बड़ी सौगात के रूप में रीवा ग्वालियर ट्रेन को देखा जा रहा है जिससे मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में रीवा से सीधे कनेक्टिविटी हो गई ग्वालियर के लिए सीधी ट्रेन सुविधा मिलने पर स्थानीय नागरिक व्यापारियों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया

टीकर पहुंचे हाथी जोड़े ने कई घरों को रौदा

गुढ़ विधायक ने वन विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप

नवभारत न्यूज
रीवा, 8 जुलाई, पिछले कई माह से विंध्य क्षेत्र में भटक रहे दो हाथियों का जोड़ा एक बार फिर रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र के टीकर ग्राम पंचायत में धमाचौकड़ी मचा रहा है. पिछले तीन दिनो से हाथियों का ढ़ेरा है, वन अमले को सूचना दी गई है. स्थानीय ग्रामीण हाथियों को लेकर ड़रे हुए है.

सोमवार की रात टीकर में हाथियों का जोड़ा पहुंचा. मंगलवार को स्थानीय निवासी शिवेंद्र सिंह के कच्चे पक्के मकान को तहस नहस कर दिया है. पक्के मकान का दरवाजा तोड़ कर घर के अंदर रखा राशन चट कर गए, तो कच्चे मकान को धराशाई कर दिया. दूसरे माकान का खपरैल तोड़ कर घर का सामान खींच कर नष्ट कर दिया. जिसके बाद अब इंसानों की जान को भी हाथियों से खतरा है. हाथियों के आगे इस बरसात के मौसम में वन विभाग भी बेबस, जिससे हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. उल्लेखनीय है कि पिछले तीन माह से हाथियों का जोड़ा रीवा, मऊगंज, सीधी एवं मैहर के रामनगर क्षेत्र में विचरण कर रहा है. एक स्थान से दूसरे स्थान में हाथियों का जोड़ा भटक रहा है. वन अमले के साथ-साथ स्थानीय लोग भी खदेड़ने में लगे हुए है लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि हाथियों के नजदीक न जाय और दूरी बनाए रहे. उधर गुढ़ विधायक नागेन्द्र सिंह ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है और कहा कि करियाझर, दुआरी, टीकर, बदवार सहित कई गांवो में शाम ढ़लते ही हाथियों का मूवमेंट शुरू हो जाता है, किसान खेतों में काम नही कर पा रहे है. लेकिन वन विभाग रेस्क्यू नही कर रहा है.

संपत्ति विवाद में भाभी की गला दबाकर की थी हत्या

लालगांव पुलिस चौकी अन्तर्गत संपत्ति के विवाद में गला दबाकर भाभी की हत्या करने वाले देवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जिसे न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है. घटना के संबंध में उप निरीक्षक प्रशांत शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 1 तारीख को ग्राम देवास निवासी सविता पटेल नामक महिला की मौत रहस्यमय तरीके से हो गई थी. महिला की मौत के बाद परिजनों ने उसकी हत्या का संदेश मृतिका के देवर रमाकांत पटेल पर व्यक्त किया था. उप निरीक्षक प्रशांत शुक्ला ने बताया कि महिला की पीएम रिपोर्ट में मौत की वजह गला दबाना बताया गया जिसके बाद संदेह के आधार पर मृतिका सविता पटेल के देवर रमाकांत पटेल को पूछताछ के लिए चौकी लाया गया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया. उप निरीक्षक प्रशांत शुक्ला ने बताया कि देवर और भाभी के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था जिसकी वजह से वारदात को अंजाम दिया गया.

आईटीआई संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया आज से

नवभारत न्यूज
सतना 08 जुलाई। जिले के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया का पहला चरण शुरू हो गया है। प्रथम राउंड का सीट आवंटन जारी कर दिया गया है।

शासकीय आईटीआई संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रथम चरण का सीट आवंटन जारी होने के साथ ही प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रथम राउंड में चयनित अभ्यर्थियों को 9 जुलाई से 11 जुलाई तक निर्धारित समयावधि में संबंधित आईटीआई संस्थान में उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा तथा प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों की आवंटित सीट निरस्त की जा सकती है। ऐसे में चयनित विद्यार्थियों को समय सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संस्थान पहुंचने की सलाह दी गई है। प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त सीटों के लिए अगले चरण की काउंसलिंग एवं सीट आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। सतना शासकीय आईटीआई के प्राचार्य अजय सिंह बागरी ने बताया कि प्रथम चरण का सीट आवंटन जारी कर दिया गया है। चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 9 जुलाई से शुरू हो गई है, जो 11 जुलाई तक चलेगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संस्थान में उपस्थित होकर प्रवेश की सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

माजन खुर्द में छत से गिरने वाले युवक की मौत

नवभारत न्यूज
सिंगरौली 8 जुलाई। नवानगर थाना क्षेत्र के माजन खुर्द निवासी 24 वर्षीय सोनू शाह की छत ढलाई के दौरान हुए हादसे में उपचार के दौरान मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार चार दिन पहले निर्माणाधीन मकान की छत ढलाई करते समय सोनू शाह का पैर फिसल गया और वह छत से नीचे गिर गया। गंभीर हालत में मकान मालिक उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया। उपचार के दौरान बुधवार को उसकी मौत हो गई। शव गांव पहुंचने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने घर के सामने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने ठेकेदार राममनोज शाह के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने, मृतक के परिवार के भरण-पोषण की व्यवस्था तथा निर्माणाधीन मकान मालिक और ठेकेदार से आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश देकर स्थिति को शांत कराया। पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं सामाजिक सहयोग से ग्रामीणों और अन्य लोगों ने मृतक के परिवार को तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख 30 हजार रुपये प्रदान किए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।

सड़क हादसे में घायल बच्चे की पुलिस ने बचाई जान

सड़क दुर्घटना में घायल बच्चे और उसके पिता की समय पर मदद कर सिंगरौली पुलिस ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया। पुलिस अधीक्षक शियाज केएम के निर्देशन में पुलिस की त्वरित कार्रवाई से घायल को तत्काल उपचार मिल सका, जिससे उसकी हालत बिगड़ने से बच गई। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह राजमाता चुनकुमारी स्टेडियम के सामने एक बाइक सवार अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान एक कार से बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बच्चा घायल हो गया और घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। संयोग से वहां से गुजर रहे प्रधान आरक्षक आशीष बागरी ने तत्काल स्थिति संभाली। लोगों को सहायता के लिए प्रेरित किया और बिना देर किए डायल 112 को सूचना दी। सूचना मिलते ही बैढ़न थाना क्षेत्र की डायल 112 टीम मात्र पांच मिनट में मौके पर पहुंच गई। प्रधान आरक्षक सतीश बागरी एवं डायल 112 स्टाफ ने घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उपचार शुरू कराया। साथ ही हादसे से घबरा, बच्चे और परिजनों को समझाइश देकर उनका हौसला बढ़ाया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने सिंगरौली पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया, संवेदनशील कार्यशैली और सेवा भाव की सराहना की।

नेबूहा बंधा में वृद्ध का शव मिला

नवभारत न्यूज
सीधी 08 जुलाई। जिले के बहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत नेबूहा बंधा में बुधवार को लगभग 70 वर्षीय वृद्ध का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना पर बहरी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस से प्राप्त प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान मोहन बंसल पिता शीतला बंसल 70 वर्ष निवासी ग्राम भितरी, थाना बहरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वृद्ध मानसिक रूप से विक्षिप्त थे। हालांकि उनकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

कुचवाही बाजार में प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली जब्त

मत्स्य विभाग ने 16 किलो मछली नष्ट की

नवभारत न्यूज
सीधी 08 जुलाई। सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने जानकारी दी कि जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में मत्स्य विभाग के दल ने बुधवार को कुचवाही बाजार में कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली का विक्रय करते पाए जाने पर एक विक्रेता से लगभग 16 किलोग्राम मछली जब्त की।

कार्रवाई के दौरान मत्स्य विक्रेता सोनू भुजवा के पास से जब्त की गई प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली का शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र गोरियरा, सीधी में नियमानुसार विनिष्टीकरण (नष्ट) किया गया। मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने विक्रेता को सख्त हिदायत दी कि थाई मांगुर मछली का पालन एवं विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। भविष्य में इस प्रकार की गतिविधि पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई दल में मत्स्य निरीक्षक मयंक मिश्र के साथ मत्स्य जमादार दीपनारायण तिवारी एवं श्यामलाल केवट शामिल रहे।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा प्लाट नं.34, इंडस्ट्रियल एरिया, सतना से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंडस्ट्रियल एरिया से मुद्रित. संपादक- संजय पयासी* फोन- 250587, फैक्स- 224642 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. 72181/99